

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जून 2020—ज्येष्ठ 29, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 मई 2020

क्रमांक एफ 5-8/2018/1 (एक).—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविन्द सिंह चंदेल, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 17 फरवरी, 2020 से 20 फरवरी, 2020 (04 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पूर्व दिनांक 15-02-2020 तथा 16-02-2020 तथा अवकाश पश्चात् दिनांक 21-02-2020 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 अप्रैल 2020

क्रमांक 830/एफ 1-1/2019/13/1.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77(ii) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992) जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक ई-1-02/2020/एक-2 दिनांक 16-03-2020 के पालन में अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ है, को विभाग के आदेश क्रमांक 688/एफ 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1 दिनांक 17-03-2020 से आगामी आदेश तक उक्त कंपनी में अध्यक्ष एवं निदेशक नियुक्त किया गया है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-02/2020/एक-2 दिनांक 16-03-2020 द्वारा श्री सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ करते हुए गृह एवं जेल विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग (रेल लाईन परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अतः गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग जिन्हें विभाग के आदेश क्रमांक 125/एफ 1-1/2018/13/1 दिनांक 25-01-2019 द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था, को सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 16-03-2020 के परिप्रेक्ष्य में उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अंतर्नियम की कंडिका 77(iv) के अंतर्गत आदेश जारी करने के दिनांक से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 अप्रैल 2020

क्रमांक 832/एफ 1-1/2019/13/1.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77(ii) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992) जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक ई-1-02/2020/एक-2 दिनांक 16-03-2020 के पालन में अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ है, को विभाग के आदेश क्रमांक 690/एफ 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1 दिनांक 17-03-2020 से आगामी आदेश तक उक्त कंपनी में अध्यक्ष एवं निदेशक नियुक्त किया गया है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-02/2020/एक-2 दिनांक 16-03-2020 द्वारा श्री सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ करते हुए गृह एवं जेल विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग (रेल लाईन परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अतः गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग जिन्हें विभाग के आदेश क्रमांक 127/एफ 1-1/2018/13/1 दिनांक 25-01-2019 द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था, को सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 16-03-2020 के परिप्रेक्ष्य में उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के अंतर्नियम की कंडिका 77(iv) के अंतर्गत आदेश जारी करने के दिनांक से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 अप्रैल 2020

क्रमांक 834/एफ 1-1/2019/13/1.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77(ii) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992) जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक ई-1-02/2020/एक-2 दिनांक 16-03-2020 के पालन में अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ है, को विभाग के आदेश क्रमांक 692/एफ 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1 दिनांक 17-03-2020 से आगामी आदेश तक उक्त कंपनी में अध्यक्ष एवं निदेशक नियुक्त किया गया है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-02/2020/एक-2 दिनांक 16-03-2020 द्वारा श्री सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ करते हुए गृह एवं जेल विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग (रेल लाईन परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अतः गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग जिन्हें विभाग के आदेश क्रमांक 129/एफ 1-1/2018/13/1 दिनांक 25-01-2019 द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था, को सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 16-03-2020 के परिप्रेक्ष्य में उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्नियम की कंडिका 77(iv) के अंतर्गत आदेश जारी करने के दिनांक से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 अप्रैल 2020

क्रमांक 836/एफ 1-1/2019/13/1.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77(ii) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992) जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक ई-1-02/2020/एक-2 दिनांक 16-03-2020 के पालन में अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ है, को विभाग के आदेश क्रमांक 694/एफ 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1 दिनांक 17-03-2020 से आगामी आदेश तक उक्त कंपनी में अध्यक्ष एवं निदेशक नियुक्त किया गया है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-02/2020/एक-2 दिनांक 16-03-2020 द्वारा श्री सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ करते हुए गृह एवं जेल विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग (रेल लाईन परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अतः गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग जिन्हें विभाग के आदेश क्रमांक 131/एफ 1-1/2018/13/1 दिनांक 25-01-2019 द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था, को सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 16-03-2020 के परिप्रेक्ष्य में उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्नियम की कंडिका 77(iv) के अंतर्गत आदेश जारी करने के दिनांक से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 अप्रैल 2020

क्रमांक 838/एफ 1-1/2019/13/1.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77(ii) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992) जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक ई-1-02/2020/एक-2 दिनांक 16-03-2020 के पालन में अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ है, को विभाग के आदेश क्रमांक 696/एफ 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1 दिनांक 17-03-2020 से आगामी आदेश तक उक्त कंपनी में अध्यक्ष एवं निदेशक नियुक्त किया गया है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-02/2020/एक-2 दिनांक 16-03-2020 द्वारा श्री सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ करते हुए गृह एवं जेल विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग (रेल लाईन परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अतः गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग जिन्हें विभाग के आदेश क्रमांक 133/एफ 1-1/2018/13/1 दिनांक 25-01-2019 द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था, को सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 16-03-2020 के परिप्रेक्ष्य में उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी के अंतर्नियम की कंडिका 77(iv) के अंतर्गत आदेश जारी करने के दिनांक से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 मई 2020

क्रमांक 858/एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के मेमोरेण्डम ऑफ एसोशिएशन एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोशिएशन की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उक्त पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक नियुक्त करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 मई 2020

क्रमांक 860/एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के मेमोरेण्डम ऑफ एसोशिएशन एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोशिएशन की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उक्त पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक नियुक्त करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 मई 2020

क्रमांक 862/एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उक्त पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुलहक, विशेष सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 मार्च 2020

क्रमांक 688/एफ. 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1.—विभाग के आदेश क्रमांक 137/एफ 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1 दिनांक 28-01-2019 से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77 (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री शैलेन्द्र शुक्ला, को उक्त कंपनी का निदेशक एवं अध्यक्ष के पद पर पदस्थ किया गया था।

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77(iv) सहपठित कंडिका 92 में विहित प्रावधानों के अनुशरण में, श्री शैलेन्द्र शुक्ला, (DIN 00106531) द्वारा उक्त कंपनी के निदेशक एवं अध्यक्ष पद से प्रस्तुत त्यागपत्र दिनांक 16-03-2020 को स्वीकृत करते हुए, उन्हें उक्त पद से भारमुक्त किया जाता है।

3. राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77(i) एवं कंडिका 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992) को पदभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से उक्त कंपनी के निदेशक तथा अध्यक्ष के पद पर पदस्थ करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 मार्च 2020

क्रमांक 690/एफ. 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1.—विभाग के आदेश क्रमांक 139/एफ 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1 दिनांक 28-01-2019 से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77 (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री शैलेन्द्र शुक्ला, को उक्त कंपनी का निदेशक एवं अध्यक्ष के पद पर पदस्थ किया गया था।

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77(iv) सहपठित कंडिका 92 में विहित प्रावधानों के अनुशरण में, श्री शैलेन्द्र शुक्ला, (DIN 00106531) द्वारा उक्त कंपनी के निदेशक एवं अध्यक्ष पद से प्रस्तुत त्यागपत्र दिनांक 16-03-2020 को स्वीकृत करते हुए, उन्हें उक्त पद से भारमुक्त किया जाता है।

3. राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77(i) एवं कंडिका 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992) को पदभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से उक्त कंपनी के निदेशक तथा अध्यक्ष के पद पर पदस्थ करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 मार्च 2020

क्रमांक 692/एफ. 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1.—विभाग के आदेश क्रमांक 141/एफ 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1 दिनांक 28-01-2019 से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77 (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री शैलेन्द्र शुक्ला, को उक्त कंपनी का निदेशक एवं अध्यक्ष के पद पर पदस्थ किया गया था।

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77(iv) सहपठित कंडिका 92 में विहित प्रावधानों के अनुशरण में, श्री शैलेन्द्र शुक्ला, (DIN 00106531) द्वारा उक्त कंपनी के निदेशक एवं अध्यक्ष पद से प्रस्तुत त्यागपत्र दिनांक 16-03-2020 को स्वीकृत करते हुए, उन्हें उक्त पद से भारमुक्त किया जाता है।

3. राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77(i) एवं कंडिका 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992) को पदभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से उक्त कंपनी के निदेशक तथा अध्यक्ष के पद पर पदस्थ करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 मार्च 2020

क्रमांक 694/एफ. 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1.—विभाग के आदेश क्रमांक 143/एफ 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1 दिनांक 28-01-2019 से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77 (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री शैलेन्द्र शुक्ला, को उक्त कंपनी का निदेशक एवं अध्यक्ष के पद पर पदस्थ किया गया था।

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77(iv) सहपठित कंडिका 92 में विहित प्रावधानों के अनुशरण में, श्री शैलेन्द्र शुक्ला, (DIN 00106531) द्वारा उक्त कंपनी के निदेशक एवं अध्यक्ष पद से प्रस्तुत त्यागपत्र दिनांक 16-03-2020 को स्वीकृत करते हुए, उन्हें उक्त पद से भारमुक्त किया जाता है।

3. राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77(i) एवं कंडिका 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992) को पदभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से उक्त कंपनी के निदेशक तथा अध्यक्ष के पद पर पदस्थ करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 मार्च 2020

क्रमांक 696/एफ. 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1.—विभाग के आदेश क्रमांक 145/एफ 1-5/पॉ.कं. नियुक्ति/2018/13/1 दिनांक 28-01-2019 से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77 (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री शैलेन्द्र शुक्ला, को उक्त कंपनी का निदेशक एवं अध्यक्ष के पद पर पदस्थ किया गया था।

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77(iv) सहपठित कंडिका 92 में विहित प्रावधानों के अनुशरण में, श्री शैलेन्द्र शुक्ला, (DIN 00106531) द्वारा उक्त कंपनी के निदेशक एवं अध्यक्ष पद से प्रस्तुत त्यागपत्र दिनांक 16-03-2020 को स्वीकृत करते हुए, उन्हें उक्त पद से भारमुक्त किया जाता है।

3. राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77(i) एवं कंडिका 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992) को पदभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से उक्त कंपनी के निदेशक तथा अध्यक्ष के पद पर पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार भार्गव, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 12 मार्च 2020

क्रमांक/1238/वा./भू.अ./प्र.क्र./24/अ-82/2016-17.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भिरौद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.43 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
261/6	0.16
261/4	0.01
262	0.04
275	0.16
276	0.02
284/1	0.19
283	0.18
377	0.04
279	0.02
371	0.10
372	0.03
373	0.20
374	0.05
395/1	0.17
396	0.06
योग	15
	1.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुधावा दायीं तट नहर निर्माण के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 12 मार्च 2020

क्रमांक/1239/वा./भू.अ./प्र.क्र./22/अ-82/2016-17.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पेन्द्रावन
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
457	0.06
योग	01
	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुधावा दायीं तट नहर निर्माण के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/116.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/6256 दिनांक 09-01-2020 द्वारा श्री ए. के. बंजारा, उप संचालक कृषि दुर्ग को कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग जिला दुर्ग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, जिला दुर्ग के पत्र क्रमांक/मंडी/स्था. शाखा/भा.सा.अ.नि./2019-20/2995 दिनांक 31-03-2020 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग के भारसाधक अधिकारी श्री ए. के. बंजारा उप संचालक कृषि दुर्ग के स्थान पर श्री बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई, अपर कलेक्टर दुर्ग को कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का अनुशंसा की गई है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री ए. के. बंजारा, उप संचालक कृषि दुर्ग के स्थान पर श्री बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई, अपर कलेक्टर दुर्ग को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग जिला दुर्ग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अभिनव अग्रवाल,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur the 7th March 2020

No. 336/Confdl./2020/II-2-4/2002(Part-II).— The following Judicial Officers of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry Order No. 269/Confdl./2016/II-2-4/2002 (Part II) dated 07-04-2016, 131/Confdl./2017/II-2-4/2002 (Part II) dated 30-01-2017, 417/Confdl./2017/II-2-4/2002 (Part II) dated 30-03-2017, 1162/Confdl./2017/II-2-4/2002 (Part II) dated 02-11-2017, 229/Confdl./2018/II-2-4/2002 (Part II) dated 12-04-2018, and 817/Confdl./2018/II-2-4/2002 (Part II) dated 19-07-2018 are, hereby, confirmed in Higher Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of confirmation (3)
1.	Shri Thomas Ekka	04-05-2019
2.	Shri Devendra Nath Bhagat	04-05-2019
3.	Shri Santosh Kumar Tiwari	04-05-2019
4.	Shri Shailesh Kumar Ketarap	04-05-2019
5.	Shri Prafull Sonwani	04-05-2019
6.	Shri Manvendra Singh	04-05-2019
7.	Shri Rajbhan Singh	04-05-2019
8.	Shri Mohan Prasad Gupta	04-05-2019

(1)	(2)	(3)
9.	Shri Ramjivan Dewangan	04-05-2019
10.	Shri Anand Ram Dhidhi	04-05-2019
11.	Shri Omprakash Singh Chauhan	04-05-2019
12.	Shri Neeraj Sharma	04-05-2019
13.	Shri Gopal Krishna Neelam	04-05-2019
14.	Shri Gregory Tirkey	04-05-2019
15.	Shri Liladhar Sarthi	04-05-2019
16.	Shri Rajeev Kumar	04-05-2019
17.	Shri Pravin Kumar Pradhan	04-05-2019
18.	Shri Rishi Kumar Burman	04-05-2019
19.	Ku. Sanghpushpa Bhatpahari	04-05-2019
20.	Shri Suresh Joon	04-05-2019
21.	Shri Vinod Kumar Dewangan	04-05-2019
22.	Smt. Neelima Singh Baghel	04-05-2019
23.	Smt. Geeta Neware	04-05-2019
24.	Smt. Prisilla Paul Horo	04-05-2019
25.	Shri Dukhi Ram Dewangan	04-05-2019
26.	Shri Pradodh Toppo	04-05-2019
27.	Shri Srinarayan Singh	04-05-2019
28.	Smt. Shubhra Pachouri	04-05-2019
29.	Shri Sheikh Ashraf	04-05-2019
30.	Shri Alok Kumar (Jr.)	04-05-2019
31.	Ku. Ranju Rautrai	04-05-2019
32.	Smt. Sangeeta Naveen Tiwari	04-05-2019
33.	Smt. Leena Agrawal	04-05-2019
34.	Shri Pankaj Kumar Jain	04-05-2019
35.	Shri Pankaj Kumar Sinha	04-05-2019
36.	Shri Harish Kumar Awasthi	04-05-2019
37.	Smt. Shraddha Shukla Sharma	04-05-2019
38.	Smt. Madhu Tiwari	04-05-2019
39.	Smt. Garima Sharma	04-05-2019
40.	Shri Yashvant Kumar Sarthi	04-05-2019
41.	Shri Rajendra Kumar Verma	04-05-2019
42.	Shri Sunil Kumar Jaiswal	04-05-2019
43.	Smt. Vandana Deepak Dewangan	04-05-2019
44.	Dr. Manoj Kumar Prajapati	04-05-2019
45.	Shri Ajit Kumar Rajbhanu	04-05-2019
46.	Shri Prashant Parashar	04-05-2019
47.	Ku. Sunita Sahu	04-05-2019
48.	Shri Yashwant Wasnikar	04-05-2019
49.	Shri Arvind Kumar	04-05-2019
50.	Smt. Kirti Lakra	04-05-2019
51.	Shri Niranjana Lal Chauhan	01-01-2020

Bilaspur the 7th March 2020

No. 338/Confdl./2020/II-3-2/2002 (Part-III).— The following Judicial Officers of Lower Judicial Service as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry Order Nos. 228/Confdl./2016/II-3-2/2002 (Part II) dated 18-03-2016, 1061/Confdl./2017/II-3-2/2002 (Part II) dated 21-09-2017, 821/Confdl./2018/II-3-2/2002 (Part II) dated 19-07-2018 and 208/Confdl./2020/II-3-2/2002 (Part III) dated 20-02-2020, are, hereby, confirmed in the Lower Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of confirmation (3)
1.	Shri Vijendra Sonwani	04-05-2019 (revised date)
2.	Shri Girish Kumar Mandavi	04-05-2019
3.	Shri Anand Borkar	04-05-2019
4.	Ku. Pratibha Markam	04-05-2019
5.	Smt. Chandrakala Devi Sahu	04-05-2019
6.	Shri Bhupat Singh Sahu	04-05-2019
7.	Ms. Shubhda Goyal	04-05-2019
8.	Shri Mohit Singh	04-05-2019
9.	Shri Mahesh Babu Sahu	04-05-2019
10.	Shri Rosemin Rajesh Xaxa	04-05-2019
11.	Ku. Reshma Bairagi	04-05-2019
12.	Shri Nixion Daved Lakra	04-05-2019
13.	Shri Satish Kumar Khakha	04-05-2019
14.	Smt. Neha Yati Mishra	04-05-2019
15.	Shri Dilli Singh Baghel	04-05-2019
16.	Smt. Apurva Dangi	04-05-2019
17.	Shri Bhaskar Mishra	04-05-2019
18.	Shri Praveen Mishra	04-05-2019
19.	Smt. Prateeksha Sharma	04-05-2019
20.	Ku. Mayura Gupta	04-05-2019
21.	Ku. Astha Yadav	04-05-2019
22.	Smt. Nidhi Sharma	04-05-2019
23.	Smt. Tanu Shree Gavel	04-05-2019
24.	Smt. Deepti Singh Gaur	04-05-2019
25.	Shri Pallve Raghuvanshi	04-05-2019
26.	Shri Bhupesh Kumar Basant	04-05-2019
27.	Ku. Chetna Thakur	04-05-2019
28.	Ku. Seema Kanwar	04-05-2019
29.	Ku. Jasvinder Kaur Ajmani	04-05-2019
30.	Shri Aslam Khan	04-05-2019
31.	Shri Anand Kumar Singh	04-05-2019
32.	Shri Shiv Prakash Tripathi	04-05-2019
33.	Shri Ramesh Kumar Chauhan	04-05-2019
34.	Shri Lokesh Kumar	04-05-2019
35.	Shri Girish Pal Singh	04-05-2019
36.	Smt. Manju Lata Sinha	04-05-2019
37.	Smt. Barkha Rani Verma	04-05-2019

(1)	(2)	(3)
38.	Shri Gulapan Ram Yadav	04-05-2019
39.	Ku. Amita Jaiswal	04-05-2019
40.	Shri Satyanand Prasad	04-05-2019
41.	Ku. Suman Dhruv	04-05-2019
42.	Ku. Rupal Agrawal	04-05-2019
43.	Ku. Khileshwari Sinha	04-05-2019
44.	Smt. Amrita Dinesh Mishra	04-05-2019
45.	Shri Bhagwan Das Panika	04-05-2019
46.	Ku. Neha Usendi	04-05-2019
47.	Shri Anant Deep Tirkey	04-05-2019
48.	Ku. Mrinalini Katulkar	04-05-2019
49.	Shri Devashish Thakur	04-05-2019
50.	Smt. Bhawana Nayak Thakur	04-05-2019
51.	Ku. Sweta Baghel	04-05-2019
52.	Smt. Anita Koshima Rawte	04-05-2019
53.	Shri Bhavesh Kumar Watti	04-05-2019
54.	Ku. Deepa Suchita Tirkey	04-05-2019
55.	Shri Vivek Netam	04-05-2019
56.	Shri Puneet Ram Gurupanch	04-05-2019
57.	Ku. Seema Jagdalla	04-05-2019
58.	Shri Anil Kumar Chauhan	04-05-2019
59.	Smt. Kanchan Lata Achala	04-05-2019
60.	Smt. Shanti Prabhu Jain	04-05-2019
61.	Ku. Anjali Singh	04-05-2019
62.	Smt. Deepti Lakra	04-05-2019
63.	Shri Anshul Verma	04-05-2019
64.	Shri Alok Pandey	04-05-2019
65.	Smt. Shivani Singh	04-05-2019
66.	Shri Anup Tigga	04-05-2019
67.	Ku. Akansha Rathore	04-05-2019
68.	Shri Rahul Sharma	05-11-2019
69.	Smt. Aditi Thakur Shroff	01-01-2020

Bilaspur the 7th March 2020

No. 3598/Checker/III-6-2/2007(Pt.-I).— In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No.	Name of the Judicial Magistrate First Class	Present place of posting	Civil District
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ku. Shweta Mishra, J.M.F.C., Bemetara	Bemetara	Bemetara

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Ku. Ranju Vaishnav, J.M.F.C., Ambikapur	Ambikapur	Surguja at Ambikapur
3.	Ku. Gayatri Sai, J.M.F.C., Ambikapur	Ambikapur	Surguja at Ambikapur
4.	Shri Nilesh Jagdalla, J.M.F.C., Ambikapur	Ambikapur	Surguja at Ambikapur

By order of the High Court,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 6 फरवरी 2020

क्रमांक 24/दो-2-17/2006.—श्री अग्रलाल जोशी, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-01-2020 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 6 फरवरी 2020

क्रमांक 25/दो-2-18/2019.—श्री हरीश कुमार अवस्थी, विशेष न्यायाधीश अजा./आजजा. (अत्या.निवा.) अधिनियम, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 26-12-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2020

क्रमांक 31/दो-3-27/2007.—श्रीमती नीता यादव, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), जिला जांजगीर चांपा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 14-01-2020 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2020

क्रमांक 35/दो-2-12/2008.—श्री भुनेश्वर राम, तत्कालीन न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कबीरधाम (कवर्धा) वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 03-01-2020 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2020

क्रमांक 36/दो-2-12/2008.— श्री भुनेश्वर राम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 03-01-2020 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2020

क्रमांक 37/दो-3-35/2007.— श्री रमाशंकर प्रसाद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को उनके आवेदन पत्र दिनांक 08-01-2020 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2020

क्रमांक 38/दो-2-4/2004.— श्री विनय कुमार कश्यप, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव को उनके आवेदन पत्र दिनांक 13-01-2020 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 20 फरवरी 2020

क्रमांक 42/दो-2-6/2007.— श्री निर्मल मिंज, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 21-01-2020 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार,

आर. पी. देवांगन,
लेखाधिकारी.
